



हरियाणा सरकार

Dy. No. 49

P61-15

From

The Chief Secretary to Govt. Haryana.

No. 3121/2014-1 GS-II

Dated 31-12-14.

Re

Subj: Accounting of ex-gratia grant and monthly financial assistance to the family of deceased Govt. employees.

वि० सं०

अधिकांशगण हेतु वि० सं० का अवलोकन करने का कष्ट करें।

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार के पत्र दि० 31-12-14 के अन्तर्गत सूचित किया है कि यदि ex-gratia से संबंधित चरम विभाग में है तो उनकी सूची मांगें हैं।

परन्तु इस संबंध में अधिकांशगण के समान में लागू होता है कि विभाग में ex-gratia से सम्बन्धित कोई भी कार्यवाही चलायी नहीं है और इस संबंध में सूचना नहीं है। विभाग की सूचना इस संबंध में सरकार में निर्दिष्ट किया है कि उक्त केंसों को 15 दिनों के अन्दर निपटारा जाय। मतिव्य में भी उक्त दिशान्तों की पालना की जायगी।

विभाग के लिए केवल सूचनाएं पालना ही विभाग में ex-gratia का कोई कार्य नहीं है। अतः सूचना मांग दी जा रही है। PUC केरी से PUC करने के कारण प्रत्येक 900 रुपये वार्षिक की राशि ली जायेगी जो सूचना दिनांक 7-1-2015 तक भेजी जानी है। सूचना अनमोदनीय है।

18/1/15

31/12/14

18/1/15

GOVERNMENT OF HARYANA
KEEP HARYANA CLEAN AND POLLUTION FREE

17/1/15



पूर्व प्रश्नको

कृपया ध्यानपूर्वक से सम्बन्ध
नियंत्रण मांगने वाले प्रारूप अनुमोदित
प्रस्तुत है।

कृपया
20/2/15
20/2/15

3/2/15

कृपया
20/2/15

कृपया
21/2/15

सा ह जारी है।

कृपया
24/2/15

25/2/15

कृपया प्रारूप को सम्बन्ध प्रतियोगिता हस्ताक्षर
प्रस्तुत है।

कृपया
25/2/15
25/2/15

3/2/15

कृपया
25/2/15

कृपया
25/2

Issue No. 302
dated 25/02/15

कृपया जारी करे।
25/2/15



RIGHT TO INFORMATION

हरियाणा सरकार
Dy. No. 424

Dated 05-3-15

From

Chief Secretary to Govt. Haryana

Memo No. 3/21/2014 - I GS-II

Dated Chandigarh, 03-3-15

Subject

Granting of ex-gratia grant and monthly financial assistance to the family of deceased Govt. employee,

बिबर

अधिकारीगण को कि प्रो का अवलोकन करने का कल करे

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार की प्र दिनांक 2-3-15 के संदर्भ में सूचित किया है कि यह ex-gratia grant and monthly financial से संबंधित मामला विभाग में ही ले खर्च करने वाले कहा गया है। उक्त विपरीत-उ-प से पहले करने वाले सूचित किया था कि Hon'ble High Court on the next date of hearing i.e., 10-3-2015 है। परंतु उक्त से उक्त दि. 5-3-2015 को प्राप्त हुआ।

विभाग में ex-gratia grant and monthly financial से संबंधित यह मामला सम्बन्धित नहीं है और ना ही कोई कार्यवाही विचाराधीन है इस संबंध में विभाग को सूचना भेजा है। यदि अनुमान हो तो निष्पत्ति प्रोपार्सी में सूचना कर कर जा की जाय। उक्त अनुमानार्थ आदेशार्थ प्राप्ति-यदि सूचना प्रोपार्सी तबतार्थ प्रस्तुत है।


3/3/15
अ.स.स.

3/3/15

3/3/15

3/3/15
3/3/15

GOVERNMENT OF HARYANA
KEEP HARYANA CLEAN AND POLLUTION FREE
A88H/11



हरियाणा सरकार
क्र. No. 858

Dated 13-5-15

From

Chief Secretary to Govt, Haryana
General Services-II, Chandigarh.

No. 03/07/2015-IGS-II

Dated Chandigarh, the 08-5-2015

Subj

LPA No. 740/2010 (OSM) State of Haryana and others
vs. Babbar Rani & LPA No. 930/2011 (OSM)

Re: 10

अधिकारीगण को निम्नलिखित अवलोकन करने का कष्ट करें।
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार के पत्र दि. 08-5-2015 के
अंतर्गत Hon'ble High Court द्वारा दि. 27-2-15 में LPA No. 740 of
2010 and LPA No. 930 of 2011 (OSM) के अंतर्गत द्वारा अर्द्ध
पारित किये गए इस प्रकार हैं।

(i) These appeals were part of a reference to Full Bench of this court. The Full Bench decided the reference by an order and judgement dated 20-1-12. The Full Bench held that the rules applicable to the petition for special leave against the judgement of the Full Bench was dismissed by the Supreme court.

(ii) Admittedly, in the above appeals, the persons concerned died before the rules of the year 2006 which came into effect on 01-5-2006.

(iii) In view of the judgement of the Full Bench, the orders and judgements of the learned single judge are set aside. The applicants shall extend the benefit, if any, to the respondents on the basis of the rules as they were in existence on the date of the death of persons concerned.

Now the Govt. has decided that the concerned departments will file the SLP against the above mentioned orders dated 27-2-2015 of Hon'ble High Court by 19.5.2015 positively. The department concerned will get the draft SLP vetted from the Chief Secy. before filing the same in the Hon'ble Supreme Court, it is also requested that the details of all pending court cases where the petitioners are seeking relief under the old ex-Ex gratia policies be sent to the Chief Secy. office by 19.5.2015 positively.

GOVERNMENT OF HARYANA

KEEP HARYANA CLEAN AND POLLUTION FREE

पुनः प्रस्ताव



इस संबंध में आवेदनपत्रों को देखा गया है कि उक्त संबंधित विभागों में case pending नहीं है। इस संबंध में विभाग की सूचना भूज्य है।

यदि अनुमोदन हो तो भूज्य सूचना संचित, हरियाणा को भेजा जाएगा। कृपया अनुमोदनाधीन आवेदनपत्र प्रस्तुत करने पर ध्यान दें।

18/5/15

[Signature]

[Signature]

18/5/15

Raywanti
21/5

[Signature]

कृपया ध्यान दें!

[Signature]

25/5/15

25/5/15

सूचना प्रणाली की व्यवस्था प्रदत्त है।

26/5/15

[Signature]

26/5/15

Raywanti
27/5

Issue No. 816
dated 24/5/15

[Signature]
27/5/15



हरियाणा सरकार

DV.No. 951

dated 28-5-15

From:- Chief Secy. to Govt. Haryana

No. 3/7/2015-105II

dated 26-5-2015

Sub:- LPA No. 740/2010 (O&M) State of H&A clothes

vs Babita & LPA No. 930/2011 (O&M)

रिपोर्ट

आधिकारीगत रिपोर्ट का मवलाना नरम का कस्ट करें!

उपरोक्त पत्रमाचीन के संबंध में

सूचित किया जाता है। रिपोर्ट में ex-gratia के संबंधित आर्टिकल ^{कास्ट} pending नहीं है। इस संबंध में रिपोर्ट की सुचना भेजा है। संबंधित रिपोर्ट विभाग से जारी क्रि. सं. 28-5-15/816 दिनांक 28-5-15 को भेज दी गई थी।

CP/14

रिपोर्ट को यदि अनुमोदन हेतु पंक्ति कर दिया जा रहा है उक्त सूचना शुभल भेजी गई थी जिस पर received किया हुआ है।

रिपोर्ट को सही करने हेतु आधिकारीगत, से अनुमोदन का संबंध प्रस्तुत है।

~~12/6/15~~

~~3/6/15~~

~~SA~~

ASH-II

12/6/15

Signature 15/6

Signature 15/6/15

हरियाणा सरकार

पु.नं. 1353

Dated 07-10-16



RIGHT TO INFORMATION

पुष्पक

मुख्य सचिव हरियाणा सरकार
सामान्य सेवाएं - प्र

प्राची क्र. 03/21/2016 - 1जी.एस.प्र
दिनांक चण्डीगढ़ 04-10-2016.

विषय

CWP No. 1945 of 2009 - Sonam Vs.
State of Haryana

बि०प्र०

आपका पत्र मुख्य सचिव को दिनांक 04-10-2016 को प्राप्त हुआ है।

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार सामान्य सेवाएं - प्र के पत्र दिनांक 04-10-2016 के संदर्भ में उचित किया है कि माननीय न्यायालय के निर्णय दि० 09-08-2016 के अनुसार विभाग से संबंधित EX-9 के संबंध में लिखित कसौती की नवीनतम स्थिति बारे सूचना सि.पू. व्यापारिक को तुरंत अवगत करवाने के निर्देशों को एक प्रति उन्हें भी भिजवाने बारे कहा गया है।

बस संबंध में अधिकारीगत के ध्यान में लाया जाता है कि विभाग से EX-9 के संबंध में कसौती के संबंध में कोई भी विचाराधीन है इस संबंध में विभाग की कोई सूचना नहीं है।

आपके श्रुतादन हेतु विभाग की EX-9 के लिखित कसौती की नवीनतम स्थिति बारे सि.पू. प्र. करे बरकर रखे।

मुख्य सचिव हरियाणा सरकार, सामान्य सेवाएं - प्र को सूचना सूचना

यूनिफ़ॉर्म



RIGHT TO
INFORMATION

मज ही जाके।

एउ प्रकृत सभित, इतिहासकार व म.प.
आपनिज जी के वृत्त सभित मजने के संबंध
मे प्राप्त सुभोदनाय प्रस्तुत है।

Cellular
27/10/16
गणेश

श्री 01/10

अभार
27/10/16

Manji
28.10.16

Subject है 21/10/16 है नु!
श्री श्री
21/11/16 ASST I

अभार
28/10/16

कृपया प्राप्त मे संबंध मजने हेतु फार्म
प्रस्तुत है।

Cellular
3/11/16
गणेश

श्री 01/10

अभार
3/11/16

Manji
3.11.16

Subject है जारी मजे।
Delp
ASST I
1208701209
08-11-16
Manji

अभार
3/11/16